



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 206 राँची, गुरुवार, 17 वैशाख, 1948 (श०)
7 मई, 2026 (ई०)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

संकल्प
27 अप्रैल, 2026

विषय: Jharkhand Digital Infrastructure Corporation Ltd. (SPV) for Jharkhand Bharatnet Project) की स्वीकृति के संबंध में।

ज्ञापांक: Jharkhand ABP-SPV/800/2025-26-623--भारत नेट परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर के प्रत्येक ग्राम में घर-घर तक High Speed Internet Connectivity प्रदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में internet का उपयोग कर e-Governance, Mobile Governance, Health, Education, Agriculture एवं Tourism आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। साथ ही उक्त परियोजना के तहत National Telecom Policy 2012 के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायत को high speed and high quality broadband access उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी, सुरक्षित एवं सुदृढ़ नेटवर्क अवसंरचना, ई-गवर्नेंस सेवा तथा राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न आईटी एवं नेटवर्किंग से संबंधित परियोजना लाभान्वित होंगे।

2- भारत नेट परियोजना के कार्यान्वयन के निमित्त SPV (Special purpose Vehicle) के गठन पर प्रारम्भिक लागत 20(बीस) करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। NoFN समिति के अनुसार परियोजना की क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय की अनुशंसा भारत सरकार द्वारा की जानी है। इस व्यय पर संभावित वृद्धि भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी। वर्तमान में झारखण्ड सरकार SPV को ₹ 20 (बीस) करोड़ प्रारम्भिक पूंजी के साथ शुरू करेगी तथा तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के आधार पर इस SPV में संशोधन किया जायेगा। उक्त योजना के संचालन में प्रस्तावित ₹ 20 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त कोई वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार को नहीं करना है।

उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजटीय उपबंध/आगामी अनुपूरक बजट के अधीन निम्न शीर्ष से विकलनीय होगी-

(i) मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-A8-स्टेट ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 81-सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएं विपत्र कोड-45S220300796A8000781 तथा

(ii) मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-A8-स्टेट ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-81-सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएं विपत्र कोड-45S220300001A8000781

3- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि SPV का गठन कम्पनी एक्ट 2013 के तहत होगा। जिसका प्रस्तावित नाम झारखण्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा। SPV की स्थापना कण्डिका-43 के अन्तर्गत उद्देश्यों एवं भूमिकाओं को पूर्ण करने हेतु किया जायेगा। इस उद्देश्यों के पूरा होने के पश्चात संबंधित अधिकारियों के राय के उपरान्त SPV भंग किया जा सकता है।

4. राज्य में झारखण्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन निम्नवत् किया जाना है:-

4.1 नाम एवं निबंधित कार्यालय।

4.1.1 यह प्रस्तावित है कि SPV का नाम झारखण्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा।

4.1.2 इस कम्पनी का निबंधित कार्यालय झारखण्ड राज्य में होगा।

4.2 झारखण्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पंजीकरण कम्पनी एक्ट 2013 के तहत किया जायेगा।

4.3 झारखण्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन का मुख्य उद्देश्य, भूमिका एवं अधिकार निम्नवत् होंगे-

- 4.3.1 To create, develop and maintain infrastructure for providing the seamless internet connectivity to all Gram Panchayat (GP)/villages in the state of Jharkhand.
- 4.3.2 To integrate key state government network and digital infrastructure projects and services for enhancing the network utilization, ensuring optimal asset uses and maximizing the public service delivery.
- 4.3.3 To upgrade the existing BharatNet infrastructure to a ring-based IP-MPLS architecture and extend connectivity to all inhabited GPs/villages using optical fiber cable (OFC), radio links, or other suitable technologies.
- 4.3.4 To identify government/private institutions for providing internet connectivity at DHQ, BHQ, Gram Panchayat and upto village level.
- 4.3.5 To install equipment as necessary to provide internet connectivity.
- 4.3.6 To work collaboratively with various state government departments and agencies to rollout the services in smoother manner.
- 4.3.7 To work with telecom operators and internet service providers for formulating a comprehensive plan to deliver the internet services upto last milestone at GPs level.
- 4.3.8 To appoint vendors/contractors/consultants for technical/financial/managerial functions to survey, analyze, propose solutions and implement decisions regarding the BharatNet project in Jharkhand.
- 4.3.9 To develop strategies to generate revenues in order to become self-sustainable with regards to operations, maintenance and any future expansion needs.
- 44 पूंजी- झारखण्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की न्यूनतम अधिकृत पूंजी ₹ 20 (बीस) करोड़ होगी, जो ₹ 10/- प्रति शेयर के साथ 200 (दो सौ) लाख शेयरों में विभाजित किया जायेगा।

45 अंशधारक (Shareholder) - झारखण्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंशधारक निम्नवत् होंगे-

S. N.	Agency	Shares held
1	Govt. of Jharkhand	200.00 Lakh

Department of Telecommunication, Govt. of India के recommendation के पश्चात् भारत सरकार भी SPV में शेयरधारक बन जायेंगे।

46 निदेशक मंडल (Board of Director) झारखण्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SPV) for Jharkhand BharatNet project- Amended BharatNet Program (ABP) के निदेशक मंडल निम्नवत् होंगे-

S.N.	Directors	Position
1	Administrator DBN	EX-Officio Chairman
2	ACS/ Principal Secretary/Secretary, Dept. of IT & e-Gov., GoJ.	Member
3	ACS/ Principal Secretary/Secretary, Dept. of Finance, GoJ.	Director
4	ACS/ Principal Secretary/Secretary, Dept. of Panchayati Raj, GoJ.	Director
5	ACS/ Principal Secretary/Secretary, Dept. of Revenue, Registration and Land reform, GoJ.	Director
6	ACS/ Principal Secretary/Secretary, Dept. of School Education & Literacy Development, GoJ.	Director
7	Chief General Manager (T), BSNL, Jharkhand.	Ex-Officio Director
8	Additional Director General (T), Bihar LSA.	Ex-Officio Director
9	Controller of Communication Accounts, Jharkhand.	Ex-Officio Director
10	Dr. Chandra R Murthy Professor, Department of ECE, Indian Institute of Science, Bangalore.	Director

झारखण्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संपादित कार्यों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निष्पादन झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा किया जायेगा।

5- झारखण्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन, इसके Articles of Association एवं Memorandum of Association की स्वीकृति विभागीय संलेख जापांक-576 दि० 15-04-26 के क्रम में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 15-04-26 के मद सं०-55 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल
सरकार के सचिवA
